



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरत्न कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

(CIN: U74899DL1963PLC003913)

(ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004)

केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर -335702 :: जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

मुख्यालय : बीज भवन, पुसा परिसर, नई -दिल्ली 110012

पत्रांक: के.रा.फा./जैत./10-05/ कृषि/2015-16/

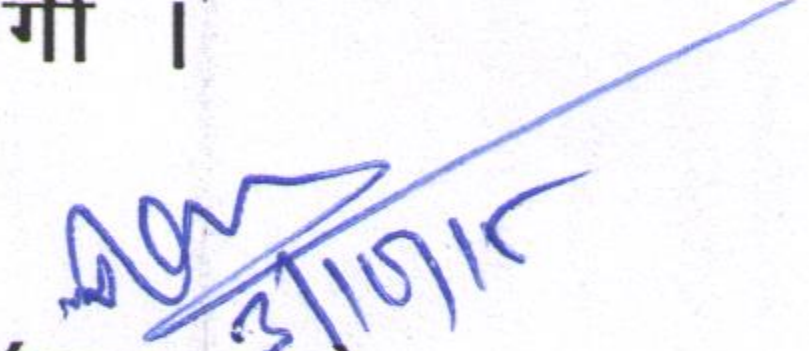
दिनांक: 03 अक्टूबर 2015

अल्प कालीन निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर, जिला श्रीगंगानगर (राज0) में खरीफ-2015 के दौरान की बीजाई की गई लगभग 1750.0 एकड़ ग्वार की फसल कम्बाईन से कटाई करने के पश्चात् शेष नीरा-गुणा, एकड़ के आधार पर ले जाने हेतु इच्छुक ठेकेदारों से सीलबन्द निविदायें चकवार निदेशक केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर जिला श्रीगंगानगर के नाम से दिनांक 12.10.2015 अपराह्न 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदायें उसी दिन अपराह्न 4.00 बजे खोली जायेगी। निविदादाता को निविदा में भाग लेने के लिए प्रत्येक चक हेतु अखरे 2000.00 (रुपये दो हजार मात्र) बैंक डिमान्ड-ड्राफ्ट जो कि नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला (IFSC कोड नम्बर SBIN0008251) पर देय हो, धरोहर राशि के रूप में निविदा के साथ जमा/संलग्न करना होगा। उक्त कार्य में नीरा-गुणा की प्रस्तावित दर राशि, एकड़ के आधार पर स्वीकृत किये जाने के उपरांत एरिया की कुल धनराशि का 25 प्रतिशत तुरन्त जमा करवाना होगा। निविदा संबंधी जानकारी तथा नियम एंवम् शर्तें किसी भी कार्यदिवस में सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक ली जा सकती है व निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर भी देखी जा सकती है। निविदा प्रपत्र अखरे रुपये 100.00 जमा कर, कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ वोटर आई.डी./पहचान पत्र की छायाप्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी।

नोट:-

दिनांक 12.10.2015 को अंतिम निर्णय नहीं होने पर वैकल्पिक तिथि दिनांक 15.10.2015 तक निविदायें प्राप्त की जा सकती है, जिसके लिए अलग से सूचना नहीं भेजी जायेगी।


प्रबन्धक (उत्पादन)
कृते निदेशक



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरातना कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN: U74899DL1963PLC003913

ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर :: जिला श्रीगंगानगर (राज.)

रजिस्टर्ड कार्यालय:- बीज भवन, पूसा भवन, नई दिल्ली-110012

क्रमांक:-के.रा.फा./जैत./10-05/कृषि/2015-16/

दिनांक:-03.10.2015

अल्पकालीन निविदा सूचना

ग्वार (खरीफ-2015) की फसल कटाई के उपरान्त नीरा-गुणा स्वयं के साधन से बना कर ले जाने हेतु नियम व शर्त:-

1. धरोहर राशि प्रत्येक चक के लिए 2000.00 (रुपये दो हजार मात्र) बैंक डिमान्ड-ड्राफ्ट जो कि नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला (IFSC कोड नम्बर SBIN0008251) पर देय हो, धरोहर राशि के रूप में निविदा के साथ जमा/संलग्न करना होगा।
2. ग्वार की नीरा-गुणा बना कर ले जाने हेतु दरें प्रति एकड़ चक वार देनी होगी।
3. नीरा-गुणा बनाने के दौरान निकलने वाला दाना फार्म को सुपूर्द करना होगा।
4. कुल राशि का 25 प्रतिशत बोली छुटने पर तुरन्त जमा करवाना होगा तथा शेष 75 प्रतिशत राशि कार्य शुरू करने से पूर्व जमा करवानी होगी।
5. 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाने पर आवंटित एरिया रद्द कर दिया जायेगा।
6. कटाई होने के उपरान्त 7 दिन के अन्दर नीरा-गुणा बनाकर उठाना होगा।
7. नीरा-गुणा आदेश जारी होने के 7 दिन के अन्दर नहीं बनाने तथा उसको खेत से नहीं उठाने पर समस्त नीरा-गुणा को नष्ट कर दिया जायेगा, जिसका ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा। नीरा-गुणा बनाने के दौरान यदि फार्म की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान ठेकेदार एंवम उसके कामगारों द्वारा किया जाता है, तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी।
8. नीरा-गुणा बनाने का कार्य चक प्रभारी के निर्देशानुसार करना होगा।
9. नीरा-गुणा की सुपूर्दगी लेने के लिए चक प्रभारी से गेट पास लेना होगा।
10. उपर्युक्त के अनुबंध/करार के किसी उपबंध से कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दशा में प्रकरण निगम के अध्यक्ष-सह-निदेशक को संदर्भित किया जायेगा, जिनको यह अधिकार होगा कि वह स्वयं अथवा अपने द्वारा नामित एकल विवेचक(सोल आर्बिट्रेटर) के द्वारा विवाद का निपटान आर्बिट्रेशन एण्ड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत करवायें। पक्षकारान पर यह बाध्यकारी होगा कि उक्त दशा में न्यायालय जाने से पहले आर्बिट्रेशन द्वारा अपने विवादों का समाधान करें।
11. आर्बिट्रेशन एण्ड कॉन्सिलिएशन के उपरान्त भी यदि कोई विवाद होता है तो उसका न्याय क्षेत्राधिकार फार्म की परिधि से संबंधित होगा।
12. नीरा-गुणा बनाने के दौरान यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है तो फार्म की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
13. कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की जन-धन की हानि एवं दुर्घटना की वैधानिक व संपूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी। फार्म का किसी भी प्रकार का कोई दायित्व नहीं होगा। ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों को देय मजदूरी, ई0पी0एफ0, दुर्घटना मुआवजा, बीमा आदि समस्त वैधानिक देनदारी व दायित्व ठेकेदार की ही होगी।
14. ठेकेदार को पेन कार्ड तथा परिचय पत्र की छायाप्रति जमा करवानी होगी।

प्रबन्धक (उत्पादन)
कृते निदेशक